



ज्ञारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

अधिसूचना

सं0सं0:- / (ए) अस्त0-06-03/10 62 (7A)

स्वा0, राँची, दिनांक: 08/02/2012

विषय:- The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 के अंगीकरण एवं ज्ञारखण्ड राज्य नैदानिक स्थापना के गठन के संबंध में।

राज्य में किसी प्राईवेट नर्सिंग होम/होस्पीटल रेगुलेशन एक्ट के अभाव में प्राईवेट नर्सिंग होम एवं होस्पीटल बिना किसी नियम एवं कानून के खोले जा रहे हैं। इलाज की सुविधा एवं वांछित योग्यता प्राप्त चिकित्सकों के समुचित व्यवस्था किये बगैर कई नर्सिंग होम संचालित हैं। अतएव एक एक्ट का निर्माण कर इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक है। एक्ट निर्माण के क्रम में राज्य विषयक मामले होने पर देश के अन्य राज्यों के अलावे ज्ञारखण्ड विधान सभा द्वारा The Clinical Establishment Registration and Regulation) Bill, 2008 पारित कर भारत सरकार को भेजा गया।

2. लोकसभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित बिल के आधार पर भारत सरकार के राजपत्र द्वारा अधिसूचना सं0- 23, दिनांक- 18.08.2010 The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 लागू किया गया है। स्वास्थ्य, चिऽ शि० एवं प० क० विभाग, ज्ञारखण्ड राँची द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत करने के फलस्वरूप संविधान की धारा 252 कंडिका (I) के अन्तर्गत यह अधिनियम ज्ञारखण्ड राज्य में स्वतः लागू हो जायेगा।

तदनुसार भारत सरकार के उक्त एक्ट को ज्ञारखण्ड राज्य में अंगीकृत करते हुए एवं एक्ट के चैप्टर III(8) के आधार पर ज्ञारखण्ड राज्य नैदानिक स्थापना परिषद (State council of Clinical Establishment) का गठन किया जाता है।

3. State council of clinical establishment भारत सरकार के एक्ट के अनुरूप निम्न रूप से गठित किया जाता है :—

(i) प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य, चिऽ शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची— पदेन अध्यक्ष

(ii) विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वा0, चिऽ शि० एवं प० क० विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची—


३५१

४

सदस्य


४५२ ११०८

5. बिना निबंधन के कोई भी व्यक्ति/ट्रस्ट/संस्था Clinical Establishment स्थापित नहीं कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अर्हताएँ पूरी करने वाले व्यक्ति/ट्रस्ट/संस्था/कम्पनी का ही निबंधन किया जा सकेगा।


(के0 विद्यासागर) 8/2/12


ज्ञाप सं0 - 7(ए) अस्त0-06-03/10 62 (7A) / रांची, दिनांक 08 अक्टूबर 2012

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सरकारी मुद्राणालय डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(के0 विद्यासागर) 8/2/12


ज्ञाप सं0 - 7(ए) अस्त0-06-03/10 62 (7A) / रांची, दिनांक 08 अक्टूबर 2012

प्रतिलिपि— संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को सूचनार्थ प्रेषित।


(के0 विद्यासागर) 8/2/12

ज्ञाप सं0 - 7(ए) अस्त0-06-03/10 62 (7A) / रांची, दिनांक 08 अक्टूबर 2012

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त/विभागीय मंत्री के अप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, स्वा०, चि० शि० एवं प० को विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/निदेशक आयुष, झारखण्ड/राज्य मेडिकल कौन्सिल के अध्यक्ष, झारखण्ड/झारखण्ड राज्य दन्त कौन्सिल के अध्यक्ष/झारखण्ड राज्य नर्सिंग कौन्सिल के अध्यक्ष/झारखण्ड राज्य फार्मेसी कौन्सिल के अध्यक्ष/झारखण्ड राज्य आयुर्वेदिक कौन्सिल के अध्यक्ष/झारखण्ड राज्य पारामेडिकल कौन्सिल के अध्यक्ष/सभी सिविल सर्जन एवं सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(के0 विद्यासागर) 8/2/12